



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 31.08.2023

थाना पुरवा ,जनपद उन्नाव ।

- **चोरी की योजना बनाते तीन अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 12 बोर व आला नकब 01 प्लास, एक पेचकस, एक चाकू बरामद**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते तीन अभियुक्तगण को कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व आला नकब 01 अदद प्लास, एक अदद पेचकस, एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 31.08.2023 को उ0नि0 श्री राम मोहन सिंह व उ0नि0 श्री शिवपाल सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा पुरवा से मिर्रीकला जाने वाले रोड के बायीं तरफ नहर पुलिया के थोड़ा आगे मंदिर के पास चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने वाले अभियुक्तगण 1. राजेश सोनकर पुत्र जियालाल निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव, 2. ज्ञानचन्द्र उर्फ बंदरिया पुत्र रघुवीर राजपूत निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव, 3. रोहित कुमार रैदास पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव को कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व आला नकब 01 अदद प्लास, एक अदद पेचकस, एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 402/2023 धारा 401 भादवि व 3/25 A. Act व 4/25 A. Act पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. राजेश सोनकर पुत्र जियालाल निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
2. ज्ञानचन्द्र उर्फ बंदरिया पुत्र रघुवीर राजपूत निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष
3. रोहित कुमार रैदास पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी मोहल्ला पश्चिमटोला कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व आला नकब 01 अदद प्लास, एक अदद पेचकस, एक अदद चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेश सोनकर-

मु0अ0सं0 288/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना अचलगंज

मु0अ0सं0 292/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना अचलगंज

मु0अ0सं0 293/19 धारा 379/411 भादवि थाना अचलगंज

मु0अ0सं0 08/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना अचलगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ज्ञानचंद्र-

मु0अ0सं0 805/13 धारा 380/411/457 भादवि थाना पुरवा

मु0अ0सं0 401/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना पुरवा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रोहित कुमार रैदास-

मु0अ0सं0 49/18 धारा 376/504/506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना पुरवा

मु0अ0सं0 37/22 धारा 380/411 भादवि थाना पुरवा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री राममोहन सिंह
2. उ0नि0 श्री शिवपाल सिंह
3. कां0 सचिन कुमार
4. कां0 विपिन कुमार
5. कां0 पवन कुमार



■ चोरी के तीन मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 30.08.2023 को श्री विनय मिश्रा पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा सहायक प्रबन्धक संचालक पैरीग्रीन, गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड C-3/22, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ मूल पता ग्राम पूरे नथऊ, भदैयां शाहपुर, हरिवंश जिला सुल्तानपुर उ0प्र0 द्वारा थाना सोहरामऊ पर अभिषेक शुक्ला पुत्र श्री विजय शंकर शुक्ला नि0 म0नं0 21 महतवानी थाना अजगैन जिला उन्नाव को मय चोरी के 03 अदद मोबाइल (1. एक अदद रेडिमी A10 मोबाइल फोन IEMI नम्बर 981679063898265 व 2. IQ 00 Phone – IMEI 867150061318015, 3. IQ 00 Phone – IMEI 862855069064610) के साथ लाया गया । थाना स्थानीय के कार्यलेख पर मौजूद उ0नि0 श्री रियाज अली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए 03 अदद मोबाइल फोन कब्जे में लेकर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 141/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता -

1. अभिषेक शुक्ला पुत्र श्री विजय शंकर शुक्ला नि0 म0नं0 21 महतवानी थाना अजगैन जिला उन्नाव

बरामदगी:-

चोरी के तीन अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0निरी0 श्री अवधेश कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
- 2.उ0नि0 श्री रियाज अली थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
3. श्री विनय मिश्रा पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा सहायक प्रबन्धक संचालन पैरीग्रीन ग्राम पूरे नथऊ, भदैयां शाहपुर, हरिवंश जिला सुल्तानपुर

